न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 61/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/192)

1. रामसिंह पुत्र सहीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम ईसराकाबास, तहसील बानसूर जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बलवीर पुत्र दाताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम ईसराकाबास, तहसील बानसूर जिला अलवर।
2. जयसिंह पुत्र इन्दर, जाति गुर्जर निवासी ग्राम ईसराकाबास, तहसील बानसूर जिला अलवर।
3. अमरसिंह पुत्र इन्दर, जाति गुर्जर निवासी ग्राम ईसराकाबास, तहसील बानसूर जिला अलवर।
4. सुमेर पुत्र रतन, जाति गुर्जर निवासी ग्राम ईसराकाबास, तहसील बानसूर जिला अलवर।
5. रामसिंह पुत्र मायाराम, जाति गुर्जर निवासी ग्राम ईसराकाबास, तहसील बानसूर जिला अलवर।
6. यादराम पुत्र मायाराम, जाति गुर्जर निवासी ग्राम ईसराकाबास, तहसील बानसूर जिला अलवर।
7. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील बानसूर, जिला अलवर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर दिनांक 01.06.2023

उपस्थित—

1. श्री विजयसिंह राठौड, वकील अपीलान्ट
2. श्री शम्भूदयाल गोठवाल, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 अनुपस्थित
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 7 की ओर से

निर्णय

दिनांक —14.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 01.06.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि हाल खसरा नं0 209 रकबा 1.3000 हैक्ट0, खसरा नं. 210 रकबा 0.7300 है0 वाके मौजा ईसराकाबास तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसका विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार बानसूर के आदेशानुसार दिनांक 17.05.2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया था लेकिन मौके पर पत्थरगढी नहीं की गई थी। अतः प्रार्थी की खातेदारी की हाल खसरा नं. 209 रकबा 1.3000 हैक्ट0, खसारा नं0 210 रकबा 0.7300 हैक्ट0 वाके मौजा ईसराकाबास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 की मुताबिक पैमाईश दिनांक 17.05.2023 के उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर द्वारा मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी होने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 01.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामसिंह पुत्र सहीराम द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर दिनांक 01.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान तहत न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 1.300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, वाके मौजा ईसरकाबास, तहसील बानसूर जिला अलवर की पैमाईश दिनांक 17.5.2023 को किये जाने के समय व पत्थरगढी के आदेश दिनांक 1.6.2023 को पारित करते समय मिन अपीलांटान को किसी प्रकार का कोई नोटिस व साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और आदेश बाला–बाला पारित किया गया, जबकि कानूनन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 प्रस्तुत होने पर पडौसी काश्तकारान को सूचना व नोटिस दिया जाना आवश्यक था। नक्शा ट्रेस सम्वत 2059 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 210 की तरफ उत्तर को मिन अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी का खसरा नम्बर 235 स्थित है। इसके बावजूद भी मिन अपीलांट को पैमाईश के समय पत्थरगढी के आदेश देने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया। मिन अपीलांटान खसरा नम्बर 235 का खातेदार काश्तकार है व खसरा नम्बर 236 जो खसरा नम्बर 9 की तरफ उत्तर को लगता है, उसके खातेदारान को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया और बगैर अडौसियों पडौसियों खातेदारान को सुने बगैर आदेश पारित किया है। नक्शा ग्राम ईसरकाबास तहसील बानूसर, जिला अलवर सम्वत 2020 से भी स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 158 की तरफ उत्तर को गत खसरा नम्बर 157 स्थित है, जो मिन अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा है और जिस नक्शे में और वर्तमान नक्शा ट्रेस सम्वत 2059 में स्पष्ट रूप से हाल खसरा नम्बर 235 व 210 की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। अब रेस्पोन्डेन्ट सीमाज्ञान दिनांक 17.5.2023 के आधार पर मिन अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 235 में पत्थरगढी कराने की जुस्तजू व कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि उनका खसरा नम्बर 235 से किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। जैसा कि सम्वत 2020 से नक्शे व सम्वत 2059 के नक्शे से पूर्ण रूप से प्रमाणित है, लेकिन तहत न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और गलत तथ्य बताते हुए अपीलाधीन आदेश प्राप्त करने में अहम कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बानसूर, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 1.6.2023 निरस्त फरमाया जावे। तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 1.6.2023 में मिन अपीलांटान को पक्षकार नहीं बनाया गया था और अपीलाधीन आदेश मिन अपीलांट खातेदार के बाला बाला बगैर पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश से मिन अपीलांट पीडित हैं क्योंकि मिन अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 210 से लगती हुई है इसलिए मिन अपीलांट को खसरा नं. 210 की पैमाईश व पत्थरगढी के आदेश दिये जाने से पूर्व सुना जाना अति आवश्यक था लेकिन तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि मिन अपीलांट खसरा नं. 235 का खातेदार काश्तकार है व पत्थरगढी किये जाने से मिन अपीलांट को नुकसान पहुंचने का पूर्ण अंदेशा है। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 7 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि हाल खसरा नं0 209 रकबा 1.3000 हैक्ट0, खसरा नं. 210 रकबा 0.7300 है0 वाके मौजा ईसराकाबास तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसका विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार बानसूर के आदेशानुसार दिनांक 17.05.2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया था लेकिन मौके पर पत्थरगढी नहीं की गई थी। अतः प्रार्थी की खातेदारी की हाल खसरा नं. 209 रकबा 1.3000 हैक्ट0, खसरा नं0 210 रकबा 0.7300 हैक्ट0 वाके मौजा ईसराकाबास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 की मुताबिक पैमाईश दिनांक 17.05.2023 के उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अधिकारी बानसूर जिला अलवर द्वारा मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी होने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 पारित किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 17.05.2023 के अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण में उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में समरी जॉच पश्चात पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बानसूर जिला–अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 01.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में समरी जॉच पश्चात पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर